

Proceeding of Environmental Public Hearing of M/s Shivalik Solid Waste Management Ltd. Village: Majra, PO: Dabhota, Teh: Nalagarh, District: Solan, Himachal Pradesh-174101 for Environmental Clearance of Secured Landfill Facility (10 Lakh MT to 20 Lakh MT) for Hazardous Waste Treatment, Storage and Disposal Facility (CHWTSDF).

Environmental Public Hearing of M/s Shivalik Solid Waste Management Limited Village: Majra, PO: Dabhota, Teh: Nalagarh, District: Solan, Himachal Pradesh for environmental clearance of Capacity Enhancement of Secured Landfill Facility (10 lakh metric ton to 20 lakh metric tons) was held on 09-01-2020 at 11.30 AM. This environmental public hearing was organized under the chairmanship of Mr. Rohit Rathore, Additional District Magistrate, District Solan.

At the beginning of the public hearing, Mr. Praveen Gupta, Senior Environmental Engineer and Additional Director (Environment, Science and Technology Department, Himachal Pradesh) welcomed the Chairman, officers of various departments, employees and local residents present in Public Hearing and requested them to express their thoughts, suggestions and objections without any fear. Then, he requested the Chairman to grant permission to start public hearing, after the approval of the Chairman, public hearing was started. Videography of this public hearing was also done; accordingly, the Public Hearing proceedings were recorded. The Project Advisor spoke about the proposed project and detailed environmental impact assessment. The issues raised by the public and various speakers present in this public hearing described below with comments.

Sr. no	Name & Address	Issues	Comments
1	Mr. Sanjeev Village: Majra Tehsil Nalagarh	He said that number of trees has been cut and the water in our village is getting polluted by this unit. What does company do to prevent the pollution?	Project Proponent: He said that trees will not be cut in the proposed project, because the capacity addition will be done at existing place only. The waste is treated scientifically before its disposal in the landfill.

2.	Mr. Bhupinder Singh, Village: Majra Tehsil Nalagarh	He said that before the establishment of this unit, the environment of our village used to be very pure but now the colour of water has turned yellow and bad smell comes at night. River water is also getting polluted and company has not done any development activity in our village.	<p>Project proponent: He said that the project has Multiple Effect Evaporator (MEE); Leachate/Chemical waste water does not go outside the unit but treated in the MEE plant. Proper Rain water drainage system is there and continues water sampling is done. The manager of the company gave detailed information about various CSR activities.</p>
3.	Mr. Rajinder Singh, Lumberdar, Village: Majra Tehsil Nalagarh	He said that during the transportation of waste, the waste falls from trucks near the speed breaker, which has made the life of the villagers miserable. He gave a copy of proposed developmental activities need to be done in village to the Chairman and requested to done by the unit. He also raised the issue of giving employment to youth in the unit to the Chairman.	<p>Project proponent: He ensured that all the vehicles transporting their hazardous waste are covered, there is negligible chance of waste falling but corrective measures will be taken as per your comments. The manager of the company said that employment will be given as per qualification.</p>
4.	Mr. Sardar Surmukh Singh Village:	Sardar Surmukh Singh suggested that a committee of stakeholders should be formed and this	<p>Project proponent: The project proponent agrees on this proposal.</p>

Dabhota Tehsil Nalagarh	committee should request the funds for the developmental activities in village.	
----------------------------	---	--

Subsequently, Mr. Praveen Gupta, Senior Environmental Engineer and Additional Director (Environmental Science and Technology Department, Himachal Pradesh), summarise the public hearing to officers and employees of various departments and everyone present in public hearing. Finally, Chairman, thanked all the staff and local people present on the occasion and heard the views of delegates and assured the people that the proposed expansion would be done as per the rules.

At the end of the Public Hearing, the Chairman assured the people that the issues discussed in the environment Public Hearing will be incorporated in the public hearing proceedings. Senior Environmental Engineer and Additional Director (Environmental Science and Technology Department, Himachal Pradesh) ensured the people that your views have been recorded and ask representatives of the administration to take this matter seriously and thanked all the attendees and the district administration for attending the Public Hearing.



Additional District Magistrate

District Solan (H.P.)
Additional District Magistrate
Solan Distt. Solan (H.P.)

मैसर्स शिवालिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड ग्राम: माजरा, पो.ओ. दभोटा, तह: नालागढ़, जिला: सोलन, हिमाचल प्रदेश -174101 द्वारा परिसंकटमय अपशिष्ट उपचार, भण्डारण और निपटान सुविधा (CHWTSDF), हेतु सुरक्षित लैंडफिल फैसिलिटी (Secured Landfill Facility) की क्षमता बृद्धि (१० लाख मीट्रिक टन से २० लाख मीट्रिक टन) के लिए पर्यावरण मंजूरी हेतु पर्यावरण जन सुनवाई कार्यवाही की अधिकृत रिपोर्ट ।

मैसर्स शिवालिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड ग्राम: माजरा, पो.ओ.: दभोटा, तह: नालागढ़, जिला: सोलन, हिमाचल प्रदेश द्वारा परिसंकटमय अपशिष्ट उपचार, भण्डारण और निपटान सुविधा (CHWTSDF), हेतु सुरक्षित लैंडफिल फैसिलिटी (Secured Landfill Facility) की क्षमता बृद्धि (१० लाख मीट्रिक टन से २० लाख मीट्रिक टन) के लिए पर्यावरण मंजूरी हेतु पर्यावरण जनसुनवाई का आयोजन दिनांक 09-01-2020 को 11.30 पूर्वाह्न को किया गया। इस पर्यावरण जन सुनवाई का आयोजन श्री रोहित राठौर, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, जिला सोलन की अध्यक्षता में किया गया।

जन सुनवाई के प्रारम्भ में श्री प्रवीन गुप्ता, वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता एवं अतिरिक्त निदेशक (पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग हिमाचल प्रदेश) ने अध्यक्ष महोदय, विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं जनसुनवाई में उपस्थित स्थानीय निवासियों का स्वागत किया एवं उनसे अनुरोध किया कि वे अपने विचार, सुझाव एवं आपत्तियों को बिना किसी भय के व्यक्त करें। उसके उपरांत उन्होंने अध्यक्ष महोदय से जन सुनवाई आरम्भ करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया, अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति के बाद जनसुनवाई शुरू की गई। इस जनसुनवाई की वीडियोग्राफी भी करवाई गई, तदानुसार पर्यावरण जन सुनवाई कार्यवाही दर्ज की गई। परियोजना सलाहकार ने इस प्रस्तावित विस्तार परियोजना के प्रारूप व विस्तृत पर्यावरण प्रभाव निर्धारण के बिषय में बताया। इस जनसुनवाई में उपस्थित जनता एवं विभिन्न वक्ताओं द्वारा उठाये गए मुद्दे टिपणियों सहित निम्लिखित वर्णित हैं।

क्रमांक	नाम एवं पता	मुद्दे	उठाए गए मुद्दों पर प्रतिक्रियाएं
1	श्री. संजीव ग्राम: माजरा तहसील नालागढ़	इन्होंने कहा कि इस इकाई से हमारे गांव के बहुत से पेड़ काटे गए तथा पानी प्रदूषित हो रहा है। इसके रोकथाम के लिए कंपनी क्या कर रही है?	परियोजना प्रस्तावक-: इन्होंने कहा की इस प्रस्तावित परियोजना में कोई भी पेड़ नहीं काटा जायेगा। क्योंकि प्रस्तावित परियोजना की क्षमता बृद्धि उसी स्थान पर की जाएगी जहा वह वर्तमान में है। प्रदूषण कि मात्रा को पहले वैज्ञानिक तरीके से खत्म किया जाएगा और

		उसके उपरांत ही ठोस अवशेषों का निपटान किया जाएगा।
2	श्री. भूपिंदर सिंह, ग्राम: माजरा तहसील नालागढ़	<p>इन्होंने कहा कि इन्होंने कहा कि इस इकाई के स्थापित होने से पहले हमारे गांव का बातावरण काफी शुद्ध हुआ करता था परन्तु अब पानी का रंग पीला हो गया है और रात को बदबू आती है। नदी का पानी भी खराब हो रहा है। और संस्था ने गाँव में कोई प्रगृति कार्य नहीं किया</p> <p>परियोजना प्रस्तावक:- इन्होंने कहा कि इस परियोजना में एक वाष्पीकरण करने वाला संयंत्र (मल्टीपल इफेक्ट ईवापॉटर, (MEE)) लगा हुआ है। केमिकल युक्त पानी बाहर नहीं जाता ओर इस MEE में वाष्पीकरण किया जाता है, बारिश के पानी के लिए अलग नाली बनायी गयी है तथा पानी में प्रदुषण की नियमित जांच होती है। कंपनी के प्रबंधक ने CSR के विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी।</p>
3	श्री. राजिंदर सिंह, लम्बरदार, ग्राम: माजरा तहसील नालागढ़	<p>इन्होंने कहा की अपशिष्ट परिवहन के दौरान गतिरोधक के पास गाड़ी में से अपशिष्ट रास्ते में गिर जाता है, जिस से गांव के लोगों का जीना दुर्लभ हो गया है। इन्होंने गांव के प्रस्ताबित कार्यों कि प्रतिलिपि अध्यक्ष महोदय को दी एवं अनुरोध किया कि इकाई द्वारा उनके गांव के प्रस्ताबित कार्य किये जाए । इन्होंने इकाई में बेरोजगार युवायों को रोजगार देने का मुद्दा भी अध्यक्ष महोदय के समक्ष रखा।</p> <p>परियोजना प्रस्तावक:- इन्होंने सुनिश्चित किया की इनके परिसंकटमय अपशिष्ट परिवहन करने वाली सभी गाड़ियां ढकी हुई होती हैं, और इसमें से अपशिष्ट गिरने की संभावना कम है, अतः इस रास्ते में यदि गतिरोधक फिर से ठीक करना पड़े, तो सुधारात्मक उपाय करेंगे। कंपनी के प्रबंधक ने कहा की योग्यता के आधार पे ही रोजगार दिया जायेगा।</p>
4	सरदार सुरमुख सिंह ग्राम: दभोटा तहसील	<p>सरदार सुरमुख सिंह ने सुझाव दिया की हित धारकों की एक कमेटी बने और यह कमेटी फंड्स के लिए निवेदन करे।</p> <p>परियोजना प्रस्तावक:- परियोजना प्रस्तावक इस प्रस्ताव पर सहमत है।</p>

नालागढ़

इसके पश्चात श्री प्रवीन गुप्ता, वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता एवं अतिरिक्त निदेशक (पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग हिमाचल प्रदेश) ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा जनसुनवाई में उपस्थित सभी के सामने जनसुनवाई का सारांश पढ़ के सुनाया।
जनसुनवाई के अंत में अध्यक्ष महोदय ने लोगों को आश्वासन दिया कि सार्वजनिक पर्यावरण जन सुनवाई में जिन मुद्दों पर चर्चा की गयी है उन्हें जन सुनवाई की कार्यवाही में शामिल किया जाएगा। वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता एवं अतिरिक्त निदेशक (पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग हिमाचल प्रदेश) ने इस अवसर पर उपस्थित सभी कर्मचारियों तथा स्थानीय जनता का धन्यवाद किया तथा लोगो को विश्वास दिलाया कि प्रस्तावित परियोजना विस्तार नियमो के अनुसार ही किया जायेगा। महोदय जी ने प्रशासन के अन्य प्रतिनिधियों को भी मामले को गम्भीरता से लेने के लिए आश्वस्त किया तथा जनसुनवाई में भाग लेने के लिए सभी उपस्थित लोगों और जिला प्रशासन का धन्यवाद किया।

श्री रोहित राठौर

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी

Additional District Magistrate
Solan Distt. Solan (H.P.)



हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हिम परिवेश, चरण-3 न्यू शिमला-171009

सार्वजनिक सूचना

भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. (EIA) अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ) दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रॉ0 शिवालिक सोलिड वेस्ट मनेजमेंट, गांव माजरा, डाकघर दमोटा, तहसील नालागढ़ जिला सोलन हिमाचल प्रदेश द्वारा मौजूदा ईकाइ में परिसंकटमय अपशिष्ट उपचार, भंडारण और निपटान सुविधा हेतु सुरक्षित लैंडफिल कैसिलिटी 10 से 20 लाख MT तक की वृद्धि हेतु प्रस्तावित क्षमता के प्रस्ताव पर सार्वजनिक सुझाव, विचार, टिप्पणियां एवं कार्यकारी सारांश (हिन्दी व अंग्रेजी) में तथा परियोजना के पर्यावरण प्रभाव निर्धारण रिपोर्ट (अंग्रेजी में) प्रस्तुत किए गए हैं।

स्थानीय प्रभावित व्यक्ति एवं परियोजना की पर्यावरणीय प्रभावों के अन्य समुचित स्वायत्तधारी परियोजना के प्रबंधकों द्वारा प्रस्तुत कार्यकारी सारांश (हिन्दी व अंग्रेजी) में परियोजना के पर्यावरण प्रभाव निर्धारण रिपोर्ट प्रारूप (ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रारूप) (अंग्रेजी में) की जांच हेतु:

- (1) निदेशक, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, पर्यावरण भवन, नजदीक यू0 एस0 क्लब, शिमला हिमाचल प्रदेश-171001 (2) जिला दण्डाधिकारी, सोलन जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश (3) अध्यक्ष जिला परिषद, सोलन जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश (4) जिला औद्योगिक केन्द्र सोलन जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश (5) क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पियर्सन रोड, एफ0ओर0आई0 कैंपस, न्यू फोरेस्ट देहरादून-248006 (6) व0 पर्यावरण अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बट्टी, जिला सोलन व (vii) मुख्य कार्यालय हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, "हिम परिवेश" चरण-3 न्यू शिमला-171009, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में किसी भी का दिवस पर सामान्य दैनिक कार्यकाल में जन सुनवाई संपन्न होने तक संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उपरोक्त दस्तावेज राज्य बोर्ड के वेबसाइट (Website: www.hppcb.nic.in) के अलावा उपमण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़ जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में भी जनसाधारण के अवलोकनार्थ हेतु उपलब्ध है। राज्य बोर्ड द्वारा स्थानीय प्रभावित व्यक्तियों एवं परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों के समुचित स्वायत्तधारीयों से सुझाव, विचार, टिप्पणियां व आपत्तियां 09.01.2020 तक प्राप्त की जाएंगी।

इस इकाई हेतु पर्यावरण जन सुनवाई का आयोजन दिनांक 09.01.2020, 11.30 बजे पूर्वान्ह, प्रॉ0 शिवालिक सोलिड वेस्ट मनेजमेंट माजरा, डाकघर दमोटा, तहसील नालागढ़ जिला सोलन हिमाचल प्रदेश के प्रांगण में प्रस्तावित है।

स्थानीय प्रभावित व्यक्तियों एवं परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों के अन्य समुचित स्वायत्तधारी उपरोक्त सार्वजनिक सुनवाई में हिस्सा लिए आमंत्रित किए जाते हैं। सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने हेतु समस्त यात्रा व प्रासंगिक व्यय हिस्सा लेने वालों को स्वयं वहन करना

(आदित्य नेगी, भा)

सद

हि0 प्र0 राज्य प्रदूषण नि

H.P. STATE POLLUTION CONTROL BOARD

"HIM PARIVESH", PHASE III,
NEW SHIMLA -- 171 009

Public Notice

According to the provisions of EIA Notification No. SO 1533 dated 14-09-2006, H.P. State Pollution Control Board invites suggestions, views, comments and objections on the proposal of M/s Shivalik Solid Waste Management Ltd., Village Majra, PO Dabhola, Tehsil Nalagarh, District Solan, HP for capacity enhancement of Secured Landfill Facility (SLF) from 10 to 20 lacs MT at existing common Hazardous Waste Treatment, Storage and Disposal Facility (CHWTSDF). The aforesaid Project Proponent has submitted Executive Summary (both in Hindi and English) and Draft Environmental Impact Assessment Report (Draft EIA Report) (in English only) related to the aforesaid unit for the purpose of perusal by all concerned.

Local affected persons and others having plausible stake in the environmental impacts of the project may inspect the Executive Summary available (both in Hindi and English) and Draft Environmental Impact Assessment Report (Draft EIA Report) (in English only) as submitted by the Project Proponent in the offices of: (i) The Director, Department of Environment, Science & Technology, Paryavaran Bhawan, Near U. S. Club Shimla, H.P. - 171001. (ii) The District Magistrate, Solan, Distt. Solan, H.P. (iii) The Chairman, Zila Parishad Solan, Distt. Solan, H.P. (iv) The District Industries Centre, Solan, Distt. Solan, H.P. (v) Ministry of Environment & Forests, Regional Office, Pearson Road, FRI Campus, New Forest, Dehradun - 248006. (vi) The Sr. Environmental Engineer, H.P. State Pollution Control Board, Baddi, Distt. Solan, H.P. (vii) Headquarters of the H.P. State Pollution Control Board, "Him Parivesh" Phase-III, New Shimla - 171009 during normal working hours on any working day till the Public Hearing is over.

In addition to this, these documents are also available in the office of The Sub Divisional Magistrate Nalagarh, Distt. Solan H.P. and also on the website of the State Board (www.hppcb.nic.in). Suggestions views comments and objections from local affected persons and others having plausible stakes in the environment impacts of the project will be accepted by the State Board up to 09-01-2020. Environmental Public Hearing related to the above-mentioned unit is proposed at M/s Shivalik Solid Waste Management Ltd., Village Majra, PO Dabhola, Tehsil Nalagarh, District Solan, HP on 09.01.2020 at 11:30 A.M.

Local affected persons and others having plausible stake in the environment impacts of the project are also invited to participate in the aforesaid Public Hearing. The traveling and incidental costs to attend the Public Hearing shall be borne by the participants themselves.

Sd/- (ADITYA NEGI, IAS)
MEMBER SECRETARY

H.P. STATE POLLUTION CONTROL BOARD

DI-127732